

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जून, 2015

का. आ.1480(अ).- जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 12.07.2010 की अधिसूचना सं. का. आ. 1649 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “श्री पंचमहल अनुसूचित जाति शिक्षा ट्रस्ट, अदादरा ता, कलोल जिला, पंचमहल गुजरात” द्वारा “मूक बधिर छात्रों के लिए स्कूल का विस्तार और उसे चलाने” की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2012-13 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 1.90 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 13 पर अधिसूचित किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा “श्री पंचमहल अनुसूचित जाति शिक्षा ट्रस्ट, अदादरा ता, कलोल जिला, पंचमहल गुजरात” द्वारा चलाई जा रही “मूक बधिर छात्रों के लिए स्कूल का विस्तार और उसे चलाने” की परियोजना अथवा स्कीम को 1.90 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2013-14, 2014-15 और 2015-2016 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है। चूंकि वित्तीय वर्ष 2013-14 और 2014-15 समाप्त हो चुके हैं, अतः आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 क ग के तहत, वित्तीय वर्ष 2013-14 और 2014-15 के लिए कोई प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

[सं.134 /2015 /फा. सं. वी -27015/1/2015 एस ओ(एन. सी)]

मकखन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)